

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 300]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

(निर्णायक समीक्षा)

विषय:- चीन.जन.गण. और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/23/2013-डीजीएडी:—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात के सम्बंध में मूल पाटनरोधी जांच प्रारंभ की थी और दिनांक 4.8.2003 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/10/2002-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। तदनुसार, चीन जन.गण और कोरिया आरपी

(जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के सभी आयातों पर दिनांक 23 सितम्बर, 2003 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 142/2003-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। सम्बद्ध देशों के विरुद्ध इस तरह अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई और संशोधित शुल्क के विस्तार की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम दिनांक 21.11.2008 की अधिसूचना सं. 15/11/2007-डीजीएडी के तहत जारी की गई थी। चीन जन.गण और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णायक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 26.12.2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 137/2008 के तहत उद्ग्रहित की गई थी। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने कोरिया आरपी, सऊदी अरेबिया और यूएसए से सम्बद्ध वस्तु के सभी आयातों की मध्यावधि समीक्षा जांच आयोजित की और दिनांक 07 जुलाई, 2011 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.15/2/2010-डीजीएडी के तहत संशोधित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं.95/2011 के तहत संशोधित निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतः सीमा शुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया गया तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा।
3. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी को उक्त शुल्क की समाप्ति की तारीख से पहले किसी तर्कसंगत अवधि के अंदर, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. और यतः, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप, मैसर्स अल्कलाई मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएसएआई) ने, भारत में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कास्टिक सोडा के विनिर्माताओं की ओर से, प्राधिकारी को एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र चीन जन.गण और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने और सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की मांग करते हुए दायर किया। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद पाटन जारी रहा और घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क की मात्र और स्वरूप अपर्याप्त था। आवेदनकर्ताओं ने पुनः यह तर्क दिया कि सम्बद्ध देशों के विरुद्ध इस साधन की समाप्ति से पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
5. और, प्राधिकारी आवेदनकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह विचार करते हैं कि सम्बद्ध देशों से पाटन को समाप्त करने के लिए उक्त शुल्क की निरंतरता की जरूरत

की जांच करना और यह जांच करना उपयुक्त होगा कि यदि शुल्क को हटा दिया जाता है या उसमें कुछ अंतर कर दिया जाता है अथवा दोनों से घरेलू उद्योग को क्षति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग के आधार

6. यह आवेदनपत्र भारत में कास्टिक सोडा के घरेलू विनिर्माताओं अर्थात् डीसीएम श्रीराम कन्सालिडेटेड लिमिटेड, नई दिल्ली और गुजरात अल्कलाइ एवं कैमिकल्स लिमिटेड बडोदरा (जिन्हें एतदपश्चात् घरेलू उद्योग अथवा आवेदक कहा गया है) की ओर से घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स अल्कलाई मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) की ओर से दायर किया गया। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान याचिका ओर याचिकाकर्ता कंपनियां नियम के आशय के अंतर्गत को पूरा करती है ओर “घरेलू उद्योग” है।

समीक्षा की शुरुआत

7. समीक्षा की जरूरत को प्रमाणित करती हुई घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरुआत प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता की जरूरत तथा यह समीक्षा करने के लिए प्रारंभ करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद “सभी प्रकार का कास्टिक सोडा” है जिसे सामान्यतः “सास्टि सोडा” के नाम से जाना जाता है। कास्टिम सोडा का रासायनिक नाम एनएओएच है। कास्टिम सोडा साबुन की तरह सशक्त अल्कलाइन गंधहीन द्रव है जिसका विविध औद्योगिक सेक्टरों में कच्चे माल के रूप में अथवा अनुषंगी रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का प्रयोग दो रूपों में होता है-लाई और ठोस। ठोस कास्टिक सोडा फ्लेक्स, प्रिल्स और ग्रेनुअल्स अथवा अन्य किसी भी रूप का हो सकता है।

9. इस सम्बद्ध वस्तु पर आयोजित विगत निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और इसके दायरे को निम्नवत् परिभाषित किया है:-

“वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद कास्टिक सोडा है जिसका रासायनिक नाम एनओएच है। यह समीक्षा एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल जांच में था। मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत् परिभाषित किया है:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रो आक्साइड (रासायनिक नाम एनएओएच) है, जिसे सामान्यतः कोरिया आरपी और चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

कास्टिक सोडा के रूप में माना जाता है। कास्टिक सोडा अकार्बनिक, साबुन जैसा, भारी लवणीय और गंधहीन रसायन होता है।

कास्टिक सोडा को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्षक 2815.11 और 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आईटीसी-8 वर्गीकरण के अनुसार इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्षक संख्या 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों में होता है अर्थात् लाई और बेस, यह तीन प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रासेस, डायाफ्रैगम प्रासेस और मेम्ब्रेन प्रासेस से उत्पादित किया जाता है। तरल रूप को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है और ठोस रूप को भी आसानी से और इस उत्पाद की रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन किए बिना तरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस रूप की भंडारण और परिवहन में आसानी होती है जबकि तरल रूप की आसान घुलनशीलता होती है। अंतिम प्रयोग के लिए दोनों ही रूप प्रतिस्थापनीय और अदल-बदल कर प्रयोग किए जा सकते हैं। घरेलू उद्योग दोनों ही रूपों में कास्टिक सोडा का उत्पादन करती है और वह सम्बद्ध देशों से आयातों को साथ तुलनीय है इसलिए उसे नियम 2(घ) के आशय के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

10. वर्तमान जांच विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। वर्तमान जांच मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समीक्षा होने के कारण वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो विगत में अधिसूचित अंतिम जहांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद का दायरा था।

11. इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु दोनों ही अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं यह कि उपभोक्तागण इनका प्रयोग अदलबदल कर सकते हैं और कर रहे हैं और यह कि दोनों ही वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जांच के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु दोनों ही समान उत्पाद हैं।

प्रक्रिया

12. यह जांच यह निर्धारित करेगी कि क्या इस साधन को समाप्त कर देने से पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए इस शुल्क का सतत अधिरोपण आवश्यक है और क्या यदि

शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों की स्थिति में क्षति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- () यह समीक्षा दिनांक 26.12.2008 की अधिसूचना सं. 137/2008 के सभी पहलुओं को कवर करेगी।
- () इस जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण और कोरिया आरपी है।
- () वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अक्टूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 है और क्षति विश्लेषण के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तथा प्रस्तावित जांच की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।
- () इस समीक्षा पर प्रमुख नियम तथा नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध क्षेत्र के ज्ञात निर्यातकों, और संबद्ध देशों की सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिये, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उपयोग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

कमरा नं .240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अ-गोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) तथा (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

18. किसी भी तरह के चिह्न के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की पांच (5) प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/ संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

20. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप से इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजर अंदाज कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. प्राटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

(Sunset Review)

New Delhi, the 19th December, 2013

Subject : Sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of Caustic Soda originating in or exported from China PR and Korea RP.

No. 15/23/2013- DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein after referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) initiated the original anti dumping investigation in respect of the imports of Caustic Soda (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR and Korea RP and definitive anti dumping duty was recommended vide final findings Notification No. 14/10/2002-DGAD dated 4.8.2003. Accordingly, definitive anti dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification No. 142/2003-Customs dated the 23rd September, 2003 on all imports of subject goods originating in or exported from China PR and Korea RP (herein after referred to as the subject countries). The sunset review of the anti dumping duty so imposed against the subject countries was initiated by the Authority and the final findings recommending extension of the revised duty were issued vide Notification No. 15/11/2007-DGAD dated 21.11.2008. Definitive anti-dumping duty was levied by the Central Government on the subject goods originating in or exported from China PR and Korea RP vide Customs Notification No. 137/2008 dated 26.12.2008. Thereafter, the Authority conducted a midterm review investigation against imports of the subject goods from Korea RP, Saudi Arabia and the USA and the revised anti-dumping duties were recommended vide Final Findings Notification No 15/2/2010-DGAD dated 7th July, 2011. The revised definitive anti dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No 95/2011 dated 3rd October 2011.

Request for Review

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of the manufacturers of Caustic Soda representing the Domestic Industry in India have approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from China PR and Korea RP and seeking the continuation of anti dumping duty on the imports originating in or exported from the subject countries. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries as the form and quantum of anti-dumping duty in force has been insufficient. The applicants have further argued that expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicants considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duty in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duty to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the Domestic Industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied or both.

Domestic industry and Standing

6. The application has been filed by M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), representing the Domestic Industry, on behalf of the domestic manufacturers of Caustic Soda in India, namely, DCM Shriram Consolidated Limited, New Delhi and Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Vadodara (hereinafter referred to as the Domestic Industry or the applicants). As per information available on record, the present petition satisfies the standing to file the present petition and the participating companies are "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

Initiation

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration and Like Article

8. The product under consideration in the present review investigation is "Caustic Soda of All Types" generally known as "Caustic Soda". Caustic Soda is chemically known as NaOH. Caustic soda is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. Caustic soda is produced in two forms – lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form.

9. In the previous sunset review investigation conducted on the subject goods, the Authority had defined the product under consideration and its scope as under:

"The product under consideration in the present case is Caustic soda, which is chemically known as NaOH. Being a sunset review investigation, product under consideration in the present application is the same as has been in the original investigation. In the final findings of the original investigation, the Designated Authority had defined the product under consideration as follows:

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature of NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Korea ROK and China PR. Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical.

Caustic soda is classified under chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs head 2815.11 and 2815.12. As per ITC 8-digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 2815.1102 and 2815.1200.

Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e. mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Liquid form can be converted into solid and the solid form can be reconverted in liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable. The domestic industry produces caustic soda in two forms and are comparable with the imports from subject countries, therefore, is being treated as like article within meaning of 2(d) of the Rules".

10. The present petition is for sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. Proposed investigation being review of existing anti dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

11. Further the applicants submitted that subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry; that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries.

Procedure

12. The investigation will determine as to whether the expiry of the measures would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied, or both.

(i) The review will cover all aspects of the Notification No. 137/2008 dated 26.12.2008.

(ii) The countries involved in this review investigation are China PR and Korea RP.

(iii) The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from October, 2012 to September, 2013 and for the injury analysis, data of the previous three years, viz., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the proposed POI will be considered.

(iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The exporters in the subject countries, their governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets- (a) one marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Five (5) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

22. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority